खंड II

औषधीय पौधों के उत्पादों हेतु स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम

शासी संरचना

1. प्रयोजन

इस अभिलेख में औषधीय पौधों के उत्पादों हेतु स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम (यहां के बाद 'स्कीम' लिखा जाएगा) की शासी संरचना तथा स्कीम के संचालन में शामिल विभिन्न संगठनों व समितियों की भूमिकाओं व उनके दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

2. उद्देश्य

इस अभिलेख का उद्देश्य स्कीम के संचालन में शामिल विभिन्न संगठनों व समितियों की भूमिकाओं व उनके दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है।

3. शासी संरचना

औषधीय पादप उत्पाद के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम की शासी संरचना की एक बहु-हितधारक संचालन समिति (SC) होगी, जिसका शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (यहां के बाद 'NMPB' लिखा जाएगा) में सचिवालय सहित, भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण परिषद (यहां से आगे 'QCI' लिखा जाएगा) में एक-एक तकनीकी व प्रमाणन समिति के सचिवालय द्वारा समर्थित होगी।

4. समितियों की नियुक्ति - सामान्य नियम

विभिन्न समितियों की नियुक्ति में, निम्न सामान्य सिद्धांतों को दृष्टिगत रखा जाएगा :

a) हितधारकों के संतुलन का प्रतिनिधित्व इस तरह से करना कि किसी एक हितधारक की प्रधानता न हो।
b) प्रमुख हितधारकों में ये शामिल हैं : औषधीय पौधों के काश्तकार/संग्राहक संघों, आयुर्वेदिक एवं अन्य प्रयोक्ता उद्योग निकायों के प्रतिनिधि, नियामक निकायों या अन्य सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक/शोध निकायों, प्रमाणन निकायों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रमाणीकरण निकायों के प्रतिनिधि तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।

c) व्यक्तिगत विशेषज्ञों की सदस्यता की पेशकश बहुत सावधानी के साथ की जाएगी और केवल तभी की जाएगी जब कोई उपयुक्त व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आगे नहीं आ रहा होगा।

d) सिवाय इसके कि जब किसी सदस्य को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में नियुक्त किया जाता है, तो एक व्यक्ति अपने संगठन को छोड़ने के लिए अपनी सदस्यता को रिक्त कर देता है और नामांकन प्राधिकारी से नए नामांकन की मांग की जाती है।

e) सदस्य संगठन निरंतरता बनाए रखने के लिए समिति में एक प्रमुख और एक वैकल्पिक प्रतिनिधि नामांकित करेंगे। दोनों सदस्य किसी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं।

f) समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जिसके बाद हितधारकों को चक्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इसका पुनर्गठन किया जाएगा, क्योंकि वहां राज्य सरकारों, प्रमाणन निकायों इत्यादि के जैसे अनेक प्रतिनिधि निकाय हो सकते हैं।

5. संचालन समिति (SC)

5.1 सदस्यता -संचालन समिति में निम्न शामिल होंगे :

a) सचिव, आयुष मंत्रालय - अध्यक्ष
b) कृषि एवं सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
c) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य
d) वॉणिज्य विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
e) आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य
f) भारत के औषधि महानियंत्रक या उनका प्रतिनिधि
g) राज्य सरकारों (स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड) के प्रतिनिधि – चक्रीय आधार एक समय में 3
h) काश्तकारों/संग्राहको के प्रतिनिधि - प्रत्येक का एक
i) प्रयोक्ता उद्योग निकायों - ADMA, AMAM, कॉस्मेटिक्स मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, किसी अन्य संबंधित निकायों के प्रतिनिधि
j) CSIR का प्रतिनिधि - सदस्य
k) ICAR का प्रतिनिधि - सदस्य
l) NABCB/NABL के प्रतिनिधि - सदस्य
m) मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों के प्रतिनिधि – चक्रीय आधार पर एक समय पर 2
n) प्रयोगशालाओं – PLIM, IIIM के प्रतिनिधि
o) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि - सदस्य
p) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, NMPB- सदस्य सचिव

.

5.1.1 संचालन समिततति अन्य सदस्यों का चयन भी कर सकती है।

5.2 कोरम (निर्दिष्ट संख्या) - संचालन समिति (SC)की बैठक के लिए कम से कम 5 सदस्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है।

5.3 संदर्भ की शर्तें - MSC निम्न के लिए उत्तरदायी होगी :

a) स्कीम के समग्र विकास, संशोधन एवं पर्यवेक्षण
b) तकनीकी/प्रमाणन समितियों की संस्तुतियां प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना
c) आवश्यकतानुसार कोई समिति गठित करना

5.4 बैठकें - SC की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

6 तकनीकी समिति (TC)

6.1 सदस्यता –तकनीकी समिति में निम्न होंगे :

अध्यक्ष (नाम से – नियुक्त किया जाना होता है)

आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधि

CIMAP, लखनऊ का प्रतिनिधि

ADMA/AMAMके प्रतिनिधि

एक मान्यता प्राप्त CB के प्रतिनिधि चक्रीय आधार पर

मेडिसिनल प्लांट्स ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि – 2

व्यक्तिगत क्षमता वाले विशेषज्ञ

NMPB

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्स सचिव - प्रतिनिधि

6.1.1 TC अन्य सदस्यों का चयन कर सकती है।

6.2 कोरम (निर्दिष्ट संख्या) -- तकनीकी समिति की बैठक के लिए अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

6.3 संदर्भ की शर्तें - तकनीकी समितिनिम्न के लिए उत्तरदायी होगी :

a) स्कीम के लिए प्रमाणन मानदंडों को परिभाषित करना।
b) प्रमाणन के लिए ज़रूरी मानकों या तकनीकी अभिलेख तैयार करना।
c) तकनीकी/संबंधित मसलों को हल करना।

6.4 बैठकें - TC की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

7 प्रमाणन समिति (CC)

7.1 सदस्यता- प्रमाणन समिति में निम्न होंगे :

a) अध्यक्ष (नाम से नियुक्त किया जाना होता है)
b) आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधि
c) NMPB का प्रतिनिधि
d) काश्तकार/संग्राहक संघों का प्रतिनिधि - प्रत्येक संचालक समिति से एक
e) प्रमाणन निकायों के प्रतिनिधि - संचालक समिति से एक
f) प्रत्यायन निकायों के प्रतिनिधि - NABCB तथा NABL प्रत्येक से एक प्रतिनिधि
g) DCGI का प्रतिनिधि
h) प्रयोक्ता उद्योग (ADMA/AMAM) का प्रतिनिधि
i) PLIM
j) सदस्य सचिव – क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया

7.1.1 CC अन्य सदस्यों का चयन कर सकता है।

7.2 कोरम (निर्दिष्ट संख्या) - प्रमाणन समिति की बैठक के लिए अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

7.3 संदर्भ की शर्तें - प्रमाणन समितिनिम्न के लिए उत्तरदायी होगी :

a) प्रमाणन स्कीम को उचित रूप से विकसित करना, अनुरक्षित करना तथा संशोधित करना।
b) सर्टिफिकेशन मार्क्स की डिज़ाइनिंग करना।
c) काश्तकारों/संग्राहकों को प्रमाणन हेतु आवेदन करने के लिए सहायक अभिलेख तैयार करने में मदद करना।
d) प्रमाणन निकायों के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन के संचालन हेतुज़रूरतों का समुचित विकसित, अनुरक्षण और संशोधन करना।
e) प्रमाणित संस्थाओं के लिए सर्टिफिकेशन मार्क के उपयोग हेतु उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करना, अनुरक्षित करना तथा उसकी समीक्षा करना
f) प्रमाणन से संबंधित किसी अन्य मामले का निस्तारण करना।

7.4 बैठकें - प्रमाणन समिति की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

8. संगठनों की भूमिकाएं

स्कीम आयुष मंत्रालय का अधनीस्थ **नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड** तथा QCI के साथ संयुक्त स्वामित्व में होगी।

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के पास स्कीम का संयुक्त स्वामित्व होगा और यह स्कीम के लिए सचिवालय प्रदान करेगा तथा सर्टिफिकेशन मार्क/लोगो का स्वामी होगा।

नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ (NABCB) स्कीम में भाग लेने के इच्छुक उचित अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले प्रमाणन निकायों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार होगा।

नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन (NABL) स्कीम के सहयोग के लिए उचित अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार होगा।

9. शिकायतें

9.1 पूरे तंत्र में स्कीम के किसी भी घटक के विरुद्ध किसी भी हितधारक को शिकायतें दर्ज करने के प्राविधान हैं - स्कीम के अंतर्गत प्रमाणित निर्माण इकाइयाँ, स्कीम के अंतर्गत प्रमाणित निकाय, स्कीम के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली प्रयोगशालाएँ और मान्यता प्राप्त निकाय, NABCB / NABL सभी पर लागू मानकों के अनुसार शिकायत प्रणाली की आवश्यकता है। यदि किसी को शिकायत है तो उसे उपलब्ध तंत्र का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.2 नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा सीधे प्राप्त की गई शिकायत QCI को संदर्भित की जाएगी जो उस शिकायत को उस उपयुक्त निकाय को संदर्भित करेगा जिसके विरुद्ध वह शिकायत की गई है तथा उस शिकायत के निस्तारण तक उसकी निगरानी की जाएगी।

9.3 QCI द्वारा प्राप्त किसी भी शिकायत को उसी रूप मे निस्तारित किया जाएगा जिस रूप में वह होगी।

9.4 उपरोक्त तंत्र के आधार पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का उनकी स्थिति के अनुसार स्टेटमेंट प्रत्येक बैठक में SC को प्रदान किया जाएगा।

10. अपीलें

10.1 स्कीम के अंतर्गत प्रमाणित/प्रमाणन की इच्छुक निर्माण इकाइयों, स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों, स्कीम के अंतर्गत प्रयुक्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त होने वाली अपीलों के निस्तारण के प्राविधान हैं जिनका उपयोग स्थिरता के साथ होता है।

10.2 यदि कोई TC/CC अपीलों के निर्णय से असंतुष्ट है, तो इसे SC द्वारा निस्तारित किया जाएगा।

10.3 यदि कोई SC अपीलों के निर्णय से असंतुष्ट है, तो SC अपील पर सुनावाई तथा उसके लिए कार्यवाही की संस्तुति करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल की नियुक्ति करेगा।

10.4 अपील के निस्तारण में, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपील की गई होगी, वह व्यक्ति निर्णय में किसी भी तरह से शामिल नहीं होगा।

10.5 NMPB/QCI द्वारा प्राप्त अपीलों का स्टेटमेंट प्रत्येक बैठक में SC के समक्ष रखा जाएगा।

स्कीम का संचालन

स्कीम के तहत कोई भी उत्पादक/संग्राहक/उत्पादकों/संग्राहकों के समूह अनुमोदित प्रमाणन निकाय (सीबी) से प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं और वे नियमीत रूप से प्रमाणन निकाय की निगरानी में रहेंगे। इस स्कीम में काफी कुछ के निरीक्षित और प्रमाणित कराने का भी एक विकल्प है। यह मध्यस्थों जैसे कि ऐसे व्यापारी जो प्रमाणित चिकित्सीय वनस्पति पदार्थ और अन्य चीजें मुहैया कराकर आगे आपूर्ति करते हैं, उनके प्रमाणन की भी अनुमति देता है।

स्कीम के लिए आरंभिक तौर पर क्यूसीआई कुछ सीबी को अनुमोदित करेगा, लेकिन अंतत: ऐसे सीबी की तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रत्यायन की अवधारणा के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। क्यूसीआई के तहत प्रमाणन निकायों का राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मानक, आईएसओ गाइड 65 के अनुसार उत्पाद प्रमाण निकायों के प्रत्यायन की स्कीम चला रहा है और वह प्रयोज्य अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रमाणन निकायों को प्रत्यायित कराएगा और यह चिकित्सीय पादप प्रमाणन स्कीम के संचालन हेतु समर्थ है। इसी तरह, स्कीम के तहत एनएबीएल से प्रत्यायित प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाएगा। ये उपाय भविष्य में अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्कीम की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए किए गए हैं।

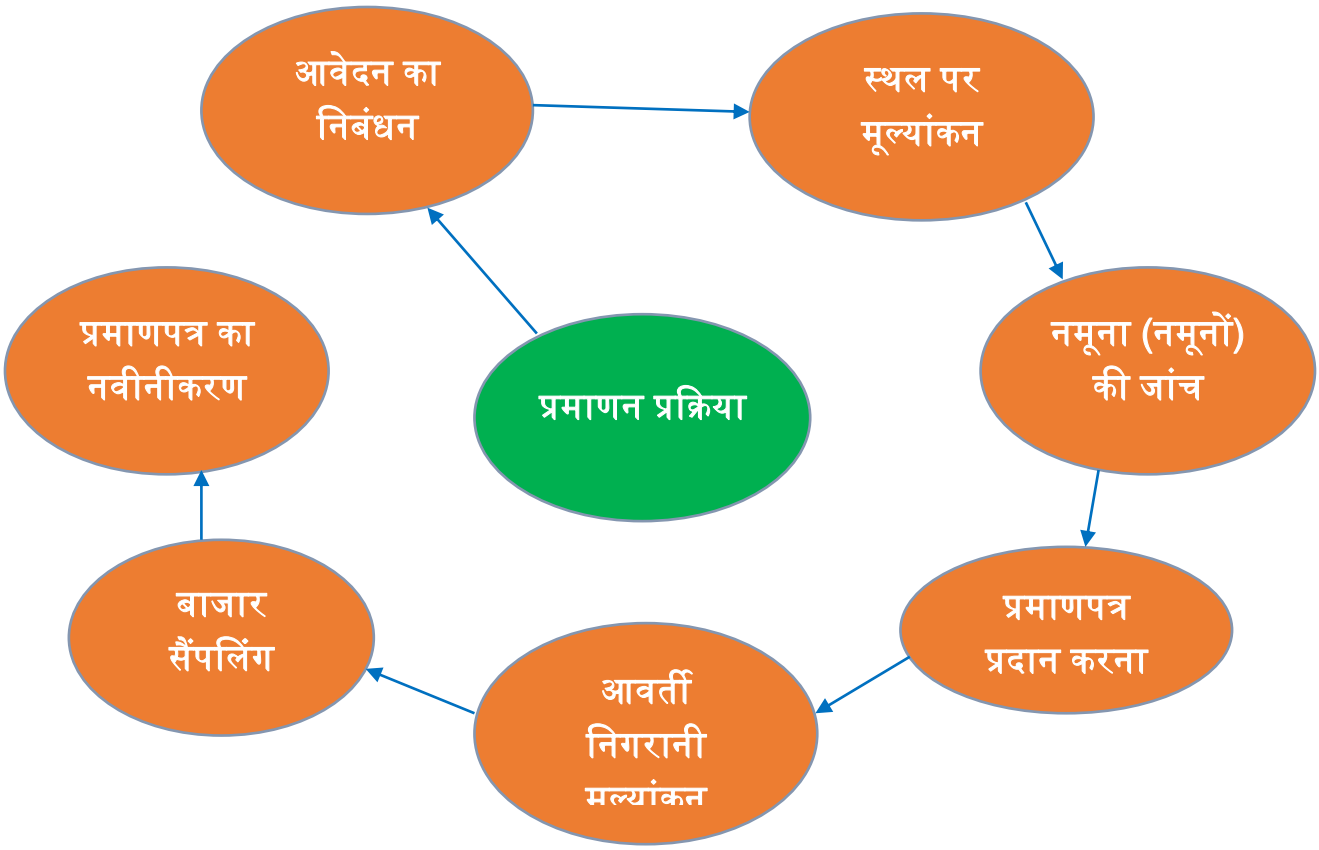

लाभार्थी

यह स्कीम चिकित्सीय वनस्पति/जड़ी-बूटी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कारण चिकित्सीय वनस्पति/जड़ी-बूटी के उत्पादक/संग्राहक/ उत्पादकों/संग्राहकों के समूह, समाज, व्यापारी, हर्बल दवा के निर्माता, आयुष उद्योग और आयुष उपभोक्ता को लाभ पहुंचाएगा।

अतिरिक्त फायदे

वापसी/उपेक्षा का कम जोखिम।
भारतीय जड़ी-बूटी को खरीदने के प्रति खरीदारों के विश्वास में वृद्धि कानूनी अनुपालन को आश्वस्त करता है।
दीर्घकालीन संग्रहण को आश्वस्त करता है

एनएमपीबी के बारे में

चिकित्सीय वनस्पति प्रक्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 24 नवंबर, 2000 को राष्ट्रीय चिकित्सीय वनस्पति बोर्ड (एनएमपीबी) का गठन किया था। वर्तमान में बोर्ड भारत सरकार के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) मंत्रालय के अधीन है। एनएमपीबी के प्राथमिक अधिदेश ने भारत के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के बीच समन्वय के लिए उपयुक्त युक्ति का विकास किया है और इसने केंद्र/राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सीय वनस्पति प्रक्षेत्र के संपूर्ण विकास (संरक्षण, उत्पादन, व्यापार और निर्यात) हेतु सहायक नीतियों/कार्यक्रमों को अमल में लाया है।

हाल के वर्षों में चिकित्सीय वनस्पतियों की खेती ने गति पकड़ा है। वैसे, अब भी हमारी जरूरतों का महत्वपूर्ण हिस्सा वन स्रोतों से पूरा होता है।

चिकित्सीय वनस्पतियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एनएमपीबी यथास्थानिक और पूर्व स्थानिक (इन-सीटू ऐंड एक्स-सीटू) संरक्षण पर ध्यान देता है और स्थानीय चिकित्सीय वनस्पतियों और चिकित्सीय महत्व के सुगंधित मसाले को बढ़ावा दे रहा है। एनएमपीबी प्रशिक्षण के जरिए शोध एवं विकास, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है जबकि प्रचार-प्रसार की गतिविधियों जैसे घर/विद्यालय में बागों का सृजन कर जागरूकता बढ़ा रहा है।

बेहतर कृषि और संग्रहण अभ्यासों (जीएसीपी'ज), गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने वाले विशेष आलेख, सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता; कृषि-प्रौद्योगिकी का विकास और कच्चे ड्रग, बीज, पौधरोपन सामग्री की गुणवत्ता के प्रमाणन हेतु विश्वसनीय संस्थान के जरिए एनएमपीबी गुणवत्ता आश्वासन और उसके मानकीकरण हेतु कार्यक्रमों को सहायता देता है।

क्युसीआई के बारे में

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की स्थापना 1997 में संयुक्त रूप से भारत सरकार और तीन प्रमुख औद्योगिक संगठनों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय उद्योग के द्वारा किया गया था। ये औद्योगिक संगठन हैं भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (एसोचेम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की)। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन ढांचा की स्थापना कर राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के जरिए गुणवत्ता को बढ़ाना है। औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय क्यूसीआई का नोडल मंत्रालय है।

प्रत्यायन समतुल्यता स्थापन के तौर-तरीके और प्रमाणन की वैश्विक स्वीकार्यता, निरीक्षण के द्वारा वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाता है और विभिन्न पुष्टिकर्ता आकलन निकायों के द्वारा गुणवत्ता, पर्यावरण, खाद्य आदि के क्षेत्र में परीक्षण और जांच प्रक्रिया पूरी गई है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान का लक्ष्य गुणवत्ता का संवर्द्धन करना, निर्माता और आपूर्तिकर्ता को सामान/सेवाओं मंश गुणवत्ता मानक लागू करने में समर्थ बनाना और इस तरह ग्राहकों गुणवत्ता युक्त सामान/सेवा के लिए सशक्त बनाना है। गुणवत्ता का प्रचार में विनिर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं सहित सभी प्रक्षेत्र शामिल है।

For further details kindly contact :

(LOGO)

National Medicinal Plants Board
Ministry of AYUSH, Government of India,
3rd Floor, AYUSH Bhawan, B Block, G.P.O. Complex,
INA, New Delhi - 110023, India
Tel.: 011 - 24651825
Email: info-nmpb@nic.in, ceo-nmpb@nic.in

Website: www.nmpb.nic.in

(LOGO)
Quality Council of India
Institution of Engineers Building, 2nd Floor Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002, India Tel: +91-
Tel.: 11- 23379321, 23379260, 23370567
E-mail: info@qcin.org

Website: www.qcin.org